संख्या– 659 / II–2005–04 (06)/05

प्रेषक,

महवीर सिंह चौहान,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक 01 मार्च, 2005

विषयः– **कालागढ़ अकादमी का अधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण की योजना वित्तीय एवं प्रशासनिक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 333/ मु0अ0वि0/बजट/बी0–1 योजना दिनांक 24.01.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"कालागढ़ अकादमी के अधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण की योजना"** के आगणन रू0 515.00 लाख के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 308.80 लाख (रूपये तीन करोड़ आठ लाख अस्सी हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने की स्वीकृति भी निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

1– उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमो एवं मित्तव्यता सम्बन्धी नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों/सामग्रियों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर पर अथवा टेण्डर/कुटेशन सम्बन्धी नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तदोपरान्त ही कार्य करायें।

3– अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में ली गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

4– कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय और कार्य की गुणवत्ता व समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

6– निर्माण सामग्री के प्रयोग में लाने के पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

क्रमशः.....2

7– योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 003–प्रशिक्षण, 03–निर्माण कार्य–00– 24–बृहद् निर्माण कार्य में रू0 30.00 लाख की धनराशि 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयत्र के नामें रू0 20.00 लाख की धनराशि डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 482/विअनु–3/2005 दिनांक 01.03.2005, में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

संख्या– 650 /।।–2005–04 (06)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2– वित्त अनु–3, उत्तरांचल शासन।
3– कोषाधिकारी, पौड़ी।
4– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग।
5– नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जल सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।